IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR CHHATTISGARH

WRIT PETITION NO. 2090 /2001

PETITIONER :

1. Raj Kumar Jain, S/o. Late S.C.Jain, aged about 47 years, INTUIC Legal President of Faphadih, Raipur Chhattisgarh.

2. Narendra Kumar Duggad, S/o. Late Jhabari Lal Duggad, aged about 45 years, resident of Gudhiyari, Raipur (Chhattisgarh).

3. Surendra Kumar, S/o. Mangilal aged about 50 years, Occupation, Amit Matador Agency Gudhiyari, Raipur (Chhattisgarh).

4. Prakash Maheshwari, S/o. Late Iswar lal Maheshwari, aged about ..... years, Occupation Salt Trader, Gudhiyari, Raipur, Chhattisgarh.

P. R. No. 2255/01
Presented by Shri R. D. Badgaiya
dated 19-11-01

VERSUS

RESPONDENT :

1. State of Madhya Pradesh, Through Secretary, department of transport, Mantralaya D.K.S. Bhawan, Raipur, Chhattisgarh.

2. The District Magistrate, Raipur, Chhattisgarh.

3.. The Superintendent of Police, Raipur (Chhattisgarh)

WRIT PETITION UNDER SECTION 226/227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

XI-C-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

34

आदेश पत्रक

W.P. No. 2090/2001

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	02.11.2001	

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री प्रशांत मिश्रा, अधिवक्ता ।

उत्तरवादियों की ओर से डा.एन.के.शुक्ला, उप महाधिवक्ता ।

तर्क श्रवण किये ।

याचिका एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

यह याचिका जिसे जनहित में प्रस्तुत किया जाना कहा गया हैं में यह प्रार्थना की गई है कि रायपुर नगर के अन्तर्गत आने वाले गुढ़यारी क्षेत्र में माल वाहकों के आने जाने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त किया जावे क्योंकि इस प्रतिबन्ध की वजह से अधिकांश मजदूर वर्ग पूर्णतः बेरोजगार हो गया है, तथा जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

विद्वान उप महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका प्रस्तुत की हैं वह जनहित में नही है। परिवहन सचिव को न्याय प्रदान किये जाने हेतु कोई सूचना पत्र (Notice for demand of Justice) भी नहीं दिया है, जबकि परिवहन सचिव को उत्तरवादी बनाया गया है तथा उनके विरुद्ध परमादेश याचिका प्रस्तुत की गयी है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि परिवहन सचिव को कोई सूचना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है ना ही उनके समक्ष कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया । यह निर्विवादित है कि याचिकाकर्ताओं ने परिवहन सचिव को न्याय प्रदान किये जाने हेतु कोई मॉग पत्र प्रस्तुत नही किया है तथा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं की समस्या पर विचार/निराकरण करने का अवसर भी नही दिया गया ।

[पीछे देखिये

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

35

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत यह निर्देशित किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता एक ज्ञापन के साथ इस याचिका की प्रति समस्त दस्तावेजों सहित स्वयं या डाक से उत्तरवादी क.1 एवं 2 के समक्ष प्रस्तुत करें तो ऐसे ज्ञापन/आवेदन प्राप्ति से 2 माह के भीतर उत्तरवादी क. 1 एवं 2 आवश्यक रुप से उसका विधि सम्मत निराकरण करें । याचिकाकर्ताओं को यह छूट प्रदान की जाती है कि यदि वे उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन/ज्ञापन पर उत्तरवादी कं 1 एवं 2 द्वारा लिये गये निर्णय को विपरीत पाते हैं तथा असंतुष्ट रहते है तो वे विधि अनुसार पुनः याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं । याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा निधी वापस की जाये । सत्यापित प्रतिलिपि नियमानुसार । **Sd/-** **Chief Justice** 27.12.2011	**Sd/-** **Fakhruddin** **Judge** dated 02.11.2011